

सिंहस्थ क्षेत्र में बिछेगा का सड़कों का जाल, यूडीए में बन रहा प्लान

उज्जैन से 500 किलोमीटर तक होगी मॉनिटरिंग, हाईवे पर जाम ना लगे इसके लिए बना रहे रणनीति, घाट, मंदिर और संतो तक पहुंचने की सुलभता तलाश रहे

नवभारत न्यूज
उज्जैन. सिंहस्थ 2028 को तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं, विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों को लेकर जो योजना बनाई जा रही है, उसमें मेला क्षेत्र में छोटी-बड़ी 100 से अधिक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. मास्टर प्लान से हटकर भी एक्स्ट्रा सड़कें प्लान गई हैं.
महाकाल की नगरी में महाकुंभ को जो तैयारी की जा रही है, उसमें सबसे प्रमुख विषय श्रद्धालुओं के देश विदेश से उज्जैन पहुंचने, खान करने, महाकाल और संतो के दर्शन कर वापस जाने का है. श्रद्धालुओं को

गंतव्य में तक लाने के लिए परिवहन की सुगम व्यवस्था हो और मेला क्षेत्र में श्रद्धालु निर्बाध तरीके से घूम फिर के वापस जा सके इसी पर पूरा फोकस किया जा रहा है.

कलेक्टर बोले प्रयागराज का भी किया अध्ययन

जिलाधीश रोशन कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ जब हुआ था तो वहां के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन किया गया है, पूर्व में जो अधिकारी दौरा करके आए थे उनकी रिपोर्ट का



अध्ययन भी किया जा रहा है, साथ ही हाइवे की सड़कों पर लंबा जब लगा था और कई लोग एक साथ बेवजह घाट पर रुक रहे थे, ऐसे में ऐसे विधियों की पुनरावृत्ति सिंहस्थ-28 में ना हो इस पर काम किया जा रहा है.

यूडीए सीईओ बोले परिवहन साधन और सड़क जरूरी

सिंहस्थ 2016 में परिवहन के माध्यम से श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने वाले संदीप सोनी इन दोनों विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं. वह जब 2016 में इंदौर में पदस्थ थे तो उन्हें अतिरिक्त तौर पर सिंहस्थ की जिम्मेदारी उज्जैन के लिए दी गई थी. ऐसे में उन्होंने परिवहन की व्यवस्था बखूबी संभाली थी, इन दिनों लैंड पुलिंग योजना को आकार देने में जुटे संदीप सोनी ने नवभारत से चर्चा में बताया कि आंतरिक स्थानीय लोक परिवहन और सड़क मार्ग यह दोनों मेला क्षेत्र के लिए बहुत अहम हैं, और इसी पर हम काम कर रहे हैं.

सिंहस्थ 2028 में खान के दौरान जिन श्रद्धालुओं को घाट पर जाना होगा, वह किसी और सड़क से पहुंचाया जाएगा. वहीं जिसे महाकाल मंदिर जाना होगा उसके लिए अलग मार्ग उपलब्ध कराएंगे. वहीं कुम्भ मेले में हर पड़व क्षेत्र पर

500 किलोमीटर तक सड़कों पर रहेगी नजर

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में देश-विदेश के लोग तेजी से खान के लिए पहुंच रहे थे. उसे में सड़क मार्ग पर कई-कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा था. दूसरे जिलों के प्रशासन में भी मोर्चा संभाला था और वायु पानी स्वल्पाहार से लेकर उनके विश्राम की व्यवस्था भी की गई थी. गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली थी, ऐसे में 2028 में लगभग 500 किलोमीटर तक सड़कों पर हमारी नजर रहेगी, इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है ताकि जाम ना लगे.

ट्रेफिक पुलिस श्रद्धालुओं को इस तरह से ड्रायवर्ट करेगी कि मेला क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न लगे, और प्रमुख सड़कें जो सिंहस्थ के लिए बनाई जाएंगी, उनका बहुतायत संख्या में उपयोग हो सके, सभी सड़कें एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी.

राजा हत्याकांड में एक और आरोपी को जमानत, परिजन नाराज 15 दिन से जेल में बंद था शिलोम जेम्स, सबूत छिपाने का है आरोप

नवभारत न्यूज
इंदौर. शहर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार शिलोम जेम्स को आखिरकार शिलांग की अदालत से जमानत मिल गई. वह पिछले 15 दिन से अधिक समय से जेल में बंद था. हालांकि कोर्ट से मिली जमानत किन शर्तों पर दी गई, यह साफ नहीं हो पाया है.



शिलोम के साथ इस केस में बिल्डिंग मालिक लोकेन्द्र तोमर और बलवीर को भी आरोपी बनाया था. इन दोनों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, अब तीसरे आरोपी शिलोम को भी राहत मिल गई है. वहीं, मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि हमारे वकील ने जमानत याचिका पर

इसके बाद पुलिस टीम इंदौर फ्राइम ब्रांच के साथ रतलाम स्थित उसके ससुराल पहुंची थी, जहां उसने सोनम की ज्वेलरी छिपाई थी, अब शिलोम को मिली जमानत से मामले में नया मोड़ आ गया है. रघुवंशी परिवार की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि वे उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं.

पर लोकेन्द्र और बलवीर का नाम भी सामने आए थे. हत्या के बाद शिलोम को पहले शिलांग पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच की थी और फिर इंदौर लाकर उसके पास से पिस्तूल, लैपटॉप और नकदी जब्त की गई थी.

आपत्ति ली थी, इसके बावजूद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली. हम आगे की कानूनी रणनीति तय करने के लिए वकील से चर्चा कर रहे हैं. इस केस में शिलांग पुलिस ने राजा की हत्या के बाद मुख्य आरोपी

सोनम राज और उसके साथियों को कमरा किराए पर देने, हत्या के बाद उनका बैग छिपाने और सबूत मिटाने के मामले में शिलोम जेम्स को आरोपी बनाया था. जांच के दौरान शिलोम के बयान के आधार

स्मार्ट सुविधा नहीं, स्मार्ट लूट है: जीतू पटवारी

उपभोक्ताओं पर जबरन थोपा जा रहा स्मार्ट मीटर

भोपाल, 18 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए स्मार्ट मीटरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे 'स्मार्ट सुविधा' बताकर उपभोक्ताओं पर जबरन थोप रही है, जबकि यह वास्तव में 'स्मार्ट लूट' बन चुकी है. पटवारी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रदेशभर से हजारों उपभोक्ताओं ने बिलों में भारी बढ़ोतरी की शिकायतें की हैं. पहले जिनका बिल 300 से 600 रुपये



आता था, अब वही उपभोक्ता 6 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक के बिल देखकर हेरान-परेशान हैं, उन्होंने कहा.
कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की स्वेच्छा पर आधारित

हों, लेकिन बिजली कंपनियों जबरन मीटर थोप रही हैं. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस पूरे सिस्टम में विदेशी कंपनियों की भूमिका भी है, कई तकनीकी घटक जर्मनी, अमेरिका और चीन से मंगवाए जा रहे हैं.
पटवारी ने सरकार से मांग की कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, उपभोक्ता की सहमति के बिना कोई भी स्मार्ट मीटर न लगाया जाए, और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी खामियों, बिलिंग प्रणाली और मीटर रीडिंग की स्वतंत्र जांच करवाई जाए.

राजधानी में धंसी सड़क को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर साधा निशाना

भोपाल. राजधानी भोपाल की एक व्यस्ततम सड़क पर भारी बारिश के बीच बना 8 फीट गहरा गड्ढा अब सियासी मुद्दा बन गया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला, वहीं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार कर विपक्ष को कठघरे में खड़ा कर दिया. सिंघार ने चेतक ब्रिज के पास सड़क धंसने की घटना पर कहा, मध्य प्रदेश में सड़क नहीं, भ्रष्टाचार धंस रहा है! राजधानी के ज्योति टॉकीज चौराहे पर 8 फीट गहरा गड्ढा - यह गड्ढा नहीं, भ्रष्ट तंत्र में धंसी विकास की नींव है. जब राजधानी की हालत ये है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? इसके जवाब में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सड़क 2002 से पहले की बनी हुई है और यह सीपीएम से पीडब्ल्यूडी को उसी वर्ष हस्तांतरित हुई थी.



वाशिंगटन से बेहतर सड़क बनाने वाली बीजेपी, अब प्रदेश की हालत खुद देखे. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सड़कें, पुल और ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं. निर्माण एजेंसियां और सरकार सिर्फ कमाई में लगी हैं. सर्वे के नाम पर खानापूर्ति होती है, और महारुपों के नाम पर

प्रदेश की सड़कें, पुल-ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े नाम बदलकर बांग्लादेशी रह रहे और सरकार सो रही

भोपाल, 18 जुलाई. मध्य प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों और ब्रिजों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कहा कि खचक्रता अबादी जीतने वाले शहरों से ही टूटी-फूटी सड़कों की तस्वीरें आ रही हैं.
वाशिंगटन से बेहतर सड़क बनाने वाली बीजेपी, अब प्रदेश की हालत खुद देखे. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सड़कें, पुल और ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं. निर्माण एजेंसियां और सरकार सिर्फ कमाई में लगी हैं. सर्वे के नाम पर खानापूर्ति होती है, और महारुपों के नाम पर



रखी गई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है.
पूर्व मंत्री ने भोपाल में नाम बदलकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को इंटीलजेंस फेल्योर करार दिया. उन्होंने कहा कि अगर सालों तक कोई बांग्लादेशी यहां रह गया और सरकार को भनक तक नहीं लगी, तो यह साफ दर्शाता है कि प्रदेश की खुफिया और कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल है.

शिकायत के बाद क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत

मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर बिजासन से खलघाट वाले मार्ग का

नवभारत न्यूज
इंदौर. मप्र से महाराष्ट्र को सीधे जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 03 फोरलेन सड़क के महाराष्ट्र से म.प्र. के अग्रवेश द्वार बिजासन से खलघाट वाले हिस्से विशेष रूप से बिजासन से संंधवा वाले हिस्से के क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य एवं साईड शोल्डर भरने का कार्य किया गया, जिससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा होगी.
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.एल. जैन ने उक्त मार्ग की दुर्दशा को लेकर प्रधान मंत्री कार्यालय को ई-मेल से



शिकायत प्रेषित करते हुए अवगत कराया था कि इंदौर से मुम्बई वाले हिस्से में महाराष्ट्र को सीमा से म.प्र. के बिजासन से खलघाट वाले हिस्से में मार्ग अनेक स्थानों से क्षतिग्रस्त हो चुका है. विशेष रूप से बिजासन से

को नवभारत ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक पीआईयू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंदौर को प्रेषित करते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे. निर्देश के बाद कंसेप्चुअल खलघाट-संधवा टोलवेज द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार फुटपाथ ओवरले अर्थात् मरम्मत कार्य और शोल्डर फिलिंग का कार्य किया गया है. बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर गड्ढे बन गए थे और शोल्डर क्षतिग्रस्त हो गए थे इन कमियों को तुरंत ठीक कर दिया गया है और रियायत समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा परियोजना राजमार्ग का नियमित रूप से रखरखाव किया जा रहा है.

रिश्वत लेते उपयंत्री नीरज और रोजगार सहायक पकड़ाए

छिंदवाड़ा, 18 जुलाई. जबलपुर ईओडब्ल्यू ने चौरई में रिश्वत लेते चौरई जनपद पंचायत के उपयंत्री और ग्राम पंचायत खिरखिरी के रोजगार सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया.

ग्राम पंचायत खिरखिरी क्षेत्र में नाली, सड़क जैसे निर्माण कार्य किए गए थे. सरपंच आरती वर्मा ने चौरई जनपद पंचायत को बताया कि पंचायत में निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं. उक्त कार्य का निरीक्षण कर उन्हें निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए. सरपंच द्वारा आवेदन करने पर उक्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण चौरई जनपद पंचायत के उपयंत्री नीरज डेहरिया

को करना था लेकिन उक्त कार्य करने के लिए ग्राम खिरखिरी के रोजगार सहायक आशीष शर्मा और उपयंत्री नीरज डेहरिया ने सरपंच आरती वर्मा से रिश्वत की मांग कर ली. उपयंत्री और रोजगार सहायक के द्वारा रिश्वत की मांग करने पर सरपंच आरती वर्मा के जेट लालजी सोलंकी ने जबलपुर ईओडब्ल्यू से इस बात की शिकायत कर दी. शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम आज चौरई पहुंची और टीम ने उपयंत्री नीरज डेहरिया को 50000 रुपए और ग्राम के रोजगार सहायक आशीष शर्मा को 15000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

चर्चा ड्रग्स बंदी के लिये अभियान जरूरी, 2005 से 2013 तक मुझे प्रताड़ित किया गया

शराबबंदी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में: उमा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 18 जुलाई. भाजपा की दिग्गज नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि शराबबंदी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, सरकार जब चाहे शराबबंदी कर सकती है, लेकिन ड्रग्सबंदी के लिये अभियान जरूरी है.
यह बात उन्होंने शुक्रवार को अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा में कही. उन्होंने इस दौरान अपना दृढ़ भी साझा करते हुए कहा कि उन्हें वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2005 तक प्रताड़ित किया गया. दरअसल भारती ने एक दिन पहले



ट्वीट कर उन्हें दोनों सरकारों द्वारा प्रताड़ित किये जाने की बात कही थी, उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर कानाफूसी का दौर शुरू हो गया था कि आखिर उमा भारती का

मादी, अमित शाह मुझसे नाराज नहीं

उमा ने कहा कि मादी और अमित शाह मुझसे नाराज नहीं, ये केवल दुष्प्रचार है. नेताओं का दुर्भाग्य है कि दूसरों की निंदा करना पड़ता है. जब पार्टी बनी तो मैं कहीं न कहीं थी. भाजपा के बाद में भाजपा में नहीं, एनडीए में आना चाहती थी. मैं गंगा से संबंधित काम सरकार या संगठन में करूंगी. मुझे भाजपा से कोई अलग नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है. प्रशासन और पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है. राजनीति के साथ प्रशासनिक स्वच्छता लाना जरूरी है. भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, हम साथ देंगे.
इशारा किसकी ओर है. आखिरकार उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में स्थिति साफ कर दी. उन्होंने कहा कि कल मैंने जो ट्वीट किया था, उसका एक-एक शब्द सही है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें 1990 और 92 के दौर में प्रताड़ित किया गया, भाई पर लूट और डकैती के प्रकरण बने.

दिविजय सिंह के कार्यकाल के समय हत्या के आरोप मेरे भाईयों पर लगे, लेकिन वे सब अदालत से बरी हो गये. मुझ पर और भाई-भतीजों पर केस दूजे किया गया. इतना ही नहीं व्यापम में मेरा नाम आया, आखिर मेरा नाम कैसे आया, लेकिन मुझे सीबीआई और अन्य एजेंसियों पर पूरा भरोसा था. उन्होंने सेवारतिया ललुचु में कहा कि मेरी मां की मृत्यु के बाद व्यापम मामले में मेरा नाम आना था, उस समय व्यापम मेरा नाम इसलिए लाया गया जिससे कि कुछ लोगों को छोड़ा जा सके. इस दौरान कई लोगों की मौत हुई है.

IIFL FINANCE गोलड लोन

PUBLIC NOTICE
The branch of IIFL Finance Ltd. located at City Center Sr. No. 341 /1 /1, Chawani Naka, Chouraha, Agar Malwa Dist. Agar M.P. 465441, will be shifting to below mentioned address with effect from 18th October, 2025.
New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, 175 Ward No. 17, Sarangpur Road, Chawani Naka, Agar Dist.-Agar Malwa - 465441
Contact No: 02271071706
All existing services can be availed at the new location.

सार्वजनिक सूचना
सिटी सेंटर क्रमांक 341 /1 /1, छावनी नका, चौराहा, आगर मालवा जिला। आगर एम पी 465441 पर स्थित आईएफएलफाइनेंस लिमिटेड की शाखा 18 अक्टूबर, 2025 से नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित हो रही है।
नया पता: आईएफएलफाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, 175 वार्ड क्रमांक 17, सारंगपुर रोड, छावनी नका, आगर जिला-आगर मालवा - 465441
संपर्क: 02271071706
सभी मौजूदा सेवाएँ इस नई शाखा से हासिल की जा सकती हैं।

अर्ण संख्या	अर्ण/कानूनी उतराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एपीए की तिथि
10195452	जगदीश सोनगर (उधारकर्ता)	रु. 10,87,661/- एवं रु. 4,53,211/-	15.07.2025
9180120	श्रीमती प्रेमलता सोनगर (सह-उधारकर्ता)	रु. 25,47,243/-	08.07.2025
एवं 9967886			

संपर्क 1:- उक्त अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा फ्लैट संख्या G-2 है, जिसका क्षेत्रफल 5.60 वर्ग फुट है। यह सिलिकॉन सिटी इंदौर, ग्राम निहालपुर मुंडी तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित 'हाई विवा' नामक विकसित आवासीय बहुमंजिला इमारत के प्लॉट संख्या A-243 पर एक बहुमंजिला आवासीय निर्मित भवन में स्थित है। इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व में: फ्लैट संख्या G-1, पश्चिम में: अचल प्लॉट, उत्तर में: प्लॉट संख्या A-244, दक्षिण में: प्लॉट संख्या A-242, संपर्क 2:- उक्त अचल आवासीय संपत्ति का पूरा हिस्सा प्लॉट संख्या A-244 के दक्षिणी भाग में है, जिसका क्षेत्रफल 8.75 वर्ग फुट अर्थात् 81.13 वर्ग फुट है। माउंट, एक विकसित आवासीय कॉलोनी में स्थित है जिसे 'सिलिकॉन सिटी' के नाम से जाना जाता है। यह गाँव निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व में सड़क, पश्चिम में अचल प्लॉट, उत्तर में प्लॉट संख्या A-244 का शेष भाग, दक्षिण में प्लॉट संख्या A-243।
*अतिरिक्त व्याज के साथ, उक्त उल्लिखित संबंधित मांग नोटिस में अधिक विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त व्याज, भुगतान और/वा यस्वी की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वकर्ता TCHFL को पूर्वीक भुगतान करने में विफल रहता है, तो TCHFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (ओं)/अचल संपत्ति (ओं) के खिलाफ पूरी तरह से उक्त दायित्वकर्ता/कानूनी उतराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) के जीवितभरण पर लागत और परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
उक्त दायित्वकर्ता/कानूनी उतराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) को उक्त अधिनियम के तहत पूर्वीक सुरक्षित संपत्ति (ओं)/अचल संपत्ति (ओं) को TCHFL को पूर्वीक लिखित समर्पण के बिना विक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा है या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/वा यर्ड का सामना करना पड़ेगा।

दिनांक:- 19-07-2025, हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान:- इंदौर, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए